[Shri Narasingha Prasad Nanda]

mention. But you decided to allow only four Members and not me. The Calling Attention Motion was rejected here. But, in the Lok Sabha, the debate went on for more than two hours. This is something very serious which is going on now and you should have allowed me.

MR. CHAIRMAN: That is all right. Yes, Mr. Jha, what is your point of order?

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : सभापति महोदय, मुझे भी कालिंग अटेन्शन नोटिस के बारे में कहना है। जो चीज आप यहां रिजैक्ट करते हैं वह लोक सभा में मंजूर की जाती है। जैसे कि एक मामला था जिसमें एक संसद् सदस्य का घर से जबर्दस्ती निकाल दिया। सभापति महोदय, इस पर कालिंग अटेन्शन लोक सभा में मंजूर किया गया। आपने उसको रिजैक्ट कर दिया था। कोई बात अहम है, देश के सामने है, तो सदन को मौका मिलता है चर्चा करने के लिए, विचारों के आदान-प्रदान के लिए लेकिन अगर उससे वंचित कर दिया जाता है तो हम जनता का सही मानें में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं।

श्रीमन्, इसी तरह से एक दूसरी बात है। जैसे आज का ही कालिंग अटेन्शन है, मेरे पास लिखित आ गया कि आपने रिजैक्ट कर दिया मैं निश्चिन्त हो गया। रिजेक्टेड। लेकिन फिर मैं देखता हूं कि एक आ गया है और मेरा भी नाम है उसमें। इसके लिये तो बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई विषय रिजैक्ट कर देते हैं और वह विषय इंपार्टेंस का है तो उसको आप टोटली रिजेक्ट मत कीजिये। उस पर फिर विचार कीजिए और हम लोगों को मौका दीजिए कि उस पर हम लोग विचार कर सकें।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Arrest and Imminent Repatriation of Indian Labour Working in the Engineering Projects (India) Ltd. from Kuwait

SHRI PRAKASH MEHROTRA (Uttar Pradesh): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Industry to the reported arrest and imminent repatriation of Indian labour working in the Engineering Projects (India) Limited, from Kuwait.

[Mr. Deputy Chairman in the chair]

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): Sir, Engineering Projects (India) Limited—EPI—is implementing in Kuwait one of the highest value civil construction projects ever secured by an Indian firm abroad. This contract was awarded in September, 1976 for a value of about Rs. 230 crores. The work comprises construction of 3,317 houses along with public buildings, infrastructure, roads, schools and other community facilities.

About 6,000 Indian workers are employed for the construction of this project by EPI and their associate contractors.

The workers went on strike from the morning of 12th July, 1978 without giving any notice, following an altercation on the previous night between a worker who was absent for more than a month and a member of the security staff of the project. A series of demands were subsequently submitted by the workers, including those relating to terms of leave, medical facilities, payment of overtime, increase in wages and removal of a member of the security staff. Conciliation meetings were held with the assistance of the Government of Kuwait. It was represented to the workers that services of the member of the security staff involved in the altercation of the previous night, would be dispensed with. Assurances were also given that wages and amenities

would be strictly provided as per terms of contract and regulations of the Government of Kuwait. The Workers were requested to go back to work pending settlement of their demands through the formation of a Grievance Committee including representatives of workers and employers under the chairmanship of a representative of the Government of Kuwait. The workers however insisted on a prior guarantee regarding satisfaction of their demands.

On the 27th July, 1978, there was a violent demonstration resulting in damage to offices and vehicles. The police had to intervene. To control the situation and to prevent further violence as well as loss to life and property, the use of tear gas was resorted to. 403 workers were arrested. No injury was caused to any of the workers. The situation was brought under control. By about 5.00 P.M. on the same day, work was resumed on the project. The situation at present is peaceful and work on the project is in full swing.

Out of the arrested persons, 185 have been since released. Further investigations are in progress in respect of the remaining 218 persons. Only those who do not wish to work or who have indulged in acts of violence will be repatriated.

The cooperation of Government of Kuwait has been commendable. Their authorities acted with exemplary tact, restraint and discretion. On our part, it is essential to ensure that our workers are not exploited and ill-treated and the terms of their approved contracts are strictly implemented. In fact, further safeguards have been effected in the last few months to ensure that workers receive their due wages and that amenties are provided to them. Every effort will continue to be made in this direction.

श्री प्रकाश मेहरोत्रा (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदय, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बयान दिया और यहां के समाचार पत्रों में यह खबर भी प्रकाशित हुई है कि 27 जुलाई को ई० पी० आई० के लगभग दो हजार वर्कर्स ने स्ट्राइक किया और एक जलूस बना कर वह ई० पी० आई० के दफ्तर में कुवैत में गये और वहां के फरनीचर की तोड़-फोड की, कुछ कारों को जलाया गया। दूसरा समाचार यह भी है कि 350 वर्कर्स को रिपैट्रियेट करने की बात चल रही है। मान्यवर, मैं इस स्ट्राइक की पृष्ठभूमि क्या है यह थोड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जैसा जानते हैं कि जो वर्कर्स है और वहां काम कर रहे हैं उनमें कई महीनो से व्यापक असन्तोष चल रहा था इस बात को लेकर कि उनकी जो तनख्वाह है वह इसी तरीके का और काम करने वालों की तनख्वाह से काफी कम है और दूसरे उनकी रहन-महन की जो व्यवस्था है वह उचित नहीं है। उनको जो सुविधायें दी जा रही है वह ऐसे और काम करने वालो की सुविधाओं से कम है। इस तरह की बात कई महीनो से चल रही था और यह बात कम्पनी के पदाधिकारियों के नोटिस मे लाई गई थी। लेकिन उन लोगों ने कोई कदम ऐसा नही उठाया कि इस चीज को दूर करके उनको सन्तोष हो सके। इसीलिए यह स्ट्राइक हुई, यह तोड़-फोड़ और हिंसा के वाकयात हुए।

मान्यवर, ई० पी० आई० के मैनेजर का बयान आया है उसमे उन्होने यह कहा है कि ये जो रेक्रूटमेंट्स हुए है इन सभी के ऐग्रीमेंट्स हुए है और नोटरी पब्लिक से ये ऐग्रीमेंट्स सर्टिफाइड है, उनको मान्यता मिली हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि ये जितने रेक्रूटमेंट्स हुए है वह सब कांट्रेक्टर्स के माध्यम से हुए है। मान्यवर, इस विषय मे मै यह कहना चाहता हूं कि आपकी यह मानी हुई नीति है कि आप डाइरेक्ट रिलेशन्स ईम्प्लाईज और ईम्पलायर्स स्थापित करना चाहते है। दूसरे, यह मैने सुना है कि इसी आशय का एक बिल भी आप ला रहे है जिससे कि जो बीच के मिडिलमैन है, सब-काट्रेक्टर्स हैं वह न रहें और वह लेबरर्स को

[श्री प्रकाश मेहरोत्रा]

ऐक्सप्लाइट न कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी जो खुद की सरकारी कम्पनी है वह सब-कांट्रेक्टर्स और मिडिलमैन को बीच में ला रही है ।

मान्यवर, इस देश में बड़ी गरीबी है। जब वहां के लोग इनको इंप्लाय करते है तो बहुत से वर्कर्स को वहां की असली स्थिति मालूम नहीं है कि वहां पर महंगाई क्या है, कास्ट आफ लिविंग क्या है, दूसरे सामान्य काम करने वाले वर्कर्स को क्या तनख्वाह मिलती है। उनके पेट की आग उनको विवश करती है वहां जाने के लिए वे यहां कांट्रैक्ट कर लेते हैं और जब वहां उनको पता लगता है कि वहां महंगाई बहुत है और जो तनख्वाह आप दे रहे हैं, जिस पर आपने कांट्रेक्ट किया है, वहां जो इसी तरीके के दूसरे वर्कर्स है उनके मुकाबले में वह बहुत कम है तो इस तरह का असन्तोष पैदा होता है।

इसके अतिरिक्त आप जो तनख्वाह भी देते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कांट्रेक्टर्स, सब-कांट्रेक्टर्स के माध्यम से करते हैं। तो वस्तुस्थिति यह होती है कि यद्यपि कांट्रेक्ट 45 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हुआ है, लेकिन कांट्रेक्टर्स उनको 30 से 35 रुपये देते हैं और 10-15 रुपये अपनी जेब में रख लेते हैं हालांकि रसीद उनसे 45 रु० की ली जाती है। इसलिए भी बड़ा असन्तोष होता है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो भर्तियां होती हैं उनमें से मिडिल-मेन को हटायें। अगर आपने भरती किया तो कम से कम तनख्वाह का पेमेंट डाइरेक्ट करना चाहिए, इन सब-कांट्रेक्टर्स के माध्यम से नहीं करना चाहिए। मान्यवर, आप तो उन लोगों में से रहे हैं जो आज़ादी की लड़ाई में यह जो फ्यूडल कंसेप्ट रहा है, जिस तरह से बेगारी का काम ले रहे हैं जमींदार उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो कम से कम आपके राज काज में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।

मेरा आप से पहला प्रश्न यह है कि क्या यह जो स्ट्राइक हुई इसके पहले कोई रिप्रेजेन्टेशन ई० पी० आई० के वर्कर्स ने वहां पर दिया था ? और अगर दिया था तो उसमें क्या विचार-विमर्श हुआ था और क्या स्टेप्स लिये गये थे उसको रिजाल्व करने के लिए।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कुवैत में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कोई मीनिमम वेज है और वहां जो दूसरी इसी तरह की फर्म्स हैं वह अपने वर्कर्स को कितनी तनख्वाह देती हैं प्रतिदिन के हिसाब से हिन्दुस्तानी वर्कर्स और विदेशी वर्कर्स को ? एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ई० पी० आई० बड़ी प्रैस्टिजियस कम्पनी है, जैसा आपने कहा कि पहली बार इतना बड़ा सिविल कांट्रेक्ट एक देश की कम्पनी को बाहर मिला है। तो इस कम्पनी का उद्देश्य यह नहीं है बड़े कांट्रैक्ट लेना बल्कि इसका उद्देश्य यह भी है कि इन्टरनेशनल कंपीटिशन में हमारा जो देश का टेक्नीकल कम्पीटेंस है उसका भी कुछ प्रोजैक्शन हो। इस कम्पनी में इस तरह के वाक्यात हों तो इससे कोई अच्छी इमेज हमारी बाहर नहीं बनती। इस चीज का और भी दृष्टिकोण सामने रख कर फैसला करना चाहिये। मेरे मन में एक शंका यह भी है कि शायद आप उसका स्पष्टीकरण कर सकें कि नेशनल कांट्रैक्ट एवार्ड कंपीटीशन में जो आपने कांट्रैक्ट लिया शायद इसमें मल्टीनेशनल्स इन्टरेस्टेड थे और इसमें एक सम्भावना मुझे यह लगती है कि मल्टीनेशनल्स उकसा रहे है। अखबारों मे यह खबर निकली है कि और कम्पनी वाले इनको प्रोत्साहन दे रहे है अपने यहां लाने के लिये ऊंची-ऊंची तनख्वाह देकर। क्या इस तरह की कोई बात है? अगर इस तरह की बात है तो क्या आप इस दिशा में कुछ करने जा रहे हैं ?

एक बात और कह दूं कि यह केवल ई० पी० आई० की बात नहीं है। आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा 'गल्फ' में बहुतसे लोग नौकरी के लिये जा रहे हैं और इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि जो कांट्रैक्ट यहां पर उनको दिया जाता है, जो बातें कही जाती हैं वे वहां पर पूरी नहीं की जाती हैं। मान्यवर, आप जाने-माने लेबर नेता हैं आप से बहुत सी आशाएं लेबरों को हैं। आप उनकी स्थिति को समझते हैं कि उनके प्रति आपके हृदय में अच्छे विचार हैं तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि इन सभी चीजों के हल के लिए कोई रास्ता निकालें।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : उपसभापति जी, कई बातें कही गई और सवाल पूछे गये। यह जो हड़ताल हुई है जुलाई महीने की 12 तारीख को, जैसा मैंने कहा कि इसकी शुरुआत रही 11 तारीख की रात को और वहां के कर्मचारी और सुरक्षा विभाग के एक कर्मचारी के बीच में जो मुठभेड़ हुई उसके चलते। पिछले कुछ महीनों से इस अंडिया हाउसिंग प्रोजैक्ट को लेकर हम विशेष दिलचस्पी ले रहे थे। क्योंकि इस को पूरा करना हमारा फर्ज था और इसको सितम्बर महीने के अन्त तक पूरा करना था। वैसे पूरा होना था मई के महीने में लेकिन कुछ विलम्ब हो गया इसलिये सितम्बर महीने के अंत तक पूरा करना होगा। जब इसकी विशेष जांच यहां से करने लगे तब हमें पता लगा कि जो कर्मचारी यहां से भर्ती करके वहां लगाये गये उनमें से कुछ लोग इस प्रोजेक्ट पर काम न करते हुए दूसरी जगह काम पर लग गये क्योंकि गांवों में, शहरों में ज्यादा तनख्वाह मिल सकती है इसलिये भर्ती यहां कराते हैं और काम कहीं और करते हैं। इस पर जब रोक लगनी शुरू हो गई और इसकी पूरी जानकारी हाथ में आ गई तब ऐसा अन्दाजा लगा कि लगभग 10 प्रतिशत कर्मचारी इस प्रोजेक्ट के लिए भर्ती हुए हैं लेकिन काम यहां पर नहीं कर रहे हैं इसलिए सुरक्षा विभाग को कहा गया कि जो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारे काम के लिए लोग जायें और दूसरा काम करने लग जायें तो हम तो इसमें फंस जायेंगे ऐसा हमने सोचा। झगड़े का मूल कारण जहां तक मैं समझ पाया हूं यहां पर है। । और कोई समस्या वहां पर थी नहीं। हम अपने अफसरों को अक्सर वहां पर भेजा करते थे और वहां से वह जानकारी लाया करते थे। अभी एक महीना नहीं हुआ तीन प्रमुख अखबारों के लोग भी यहां से वहां जाकर आए। उन लोगों ने लौट कर अपनी रिपोर्ट एक तो मंत्रालय में दी और दूसरी अपने अखबारों में छाप ली। वे मजदूरों से भी मिले लेकिन कोई शिकायत सामने नहीं आई।

तनख्वाह की बात माननीय सदस्य ने कही थी। कांट्रेक्ट जो होता है उसी कांट्रेक्ट के अन्दर तनख्वाह दी जाती है। कांट्रेक्ट आज इस प्रकार का है कि अनस्किल्ड लेबर को एक दीनार मिलता है इसका मतलब है 30 रुपये। एक सेमीस्किल्ड लेबर को 1·30 दीनार मिलते हैं इसका मतलब है 39 रुपये। स्किल्ड मजदूर को 3 दीनार प्रति दिन मिलते हैं जिसका मतलब है 90 रुपये। यह होती है उनकी तनख्वाह। दरअसल इससे कुछ ज्यादा ही मिलता है। जो अनस्किल्ड मजदूर हैं उनको लगभग 1.22 दीनार मिल जाते हैं।

श्री एन० के० पी० साल्वे (महाराष्ट्र): बोर्डिंग और लोजिंग के साथ ?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : यह तनख्वाह उनके आठ घंटे के समय को लेकर है। वहां पर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में दो घंटे से चार घंटे अधिक प्रति दिन ओवर टाइम पर लोग काम करते हैं। चूंकि यह काम कुवेत शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा था इसलिए वहीं पर उन लोगों के लिए कैम्प आदि भी लगाये गये हैं। ऐसी

[श्री जार्ज फर्नेन्डीज]

कोई बात नहीं है कि उनके रहने के लिये कोई इंतजाम नहीं किया गया हो। इसलिए वे लोग प्रति दिन दो चार घंटे ओवर टाइम भी करते हैं। जहां तक उनके रहने की व्यवस्था का सवाल है, उनके रहने के लिए मकान भी बनाये गये हैं। पिछले वर्ष जब मुझे कुवैत जाने का मौका मिला तो मैं वहां गया था और मैंने उनके मकानों को देखा है। वे सब एयर कन्डीशन्ड मकान हैं। इसके बगैर वहां पर नहीं रहा जा सकता है। मकानों के बारे में मजदूरों को कोई शिकायत नहीं है। जब यह हड़ताल शुरू हुई तो उसके दो रोज पहले उन लोगों ने अपना जो मांग पत्र पेश किया था उसमें आठ-दस मुद्दे उठाये गये थे। इन मुद्दों में मकानों की समस्या को नहीं जोड़ा गया था। जहां तक भोजन वगैरह की व्यवस्था का सवाल है, जो 13 एसोसिएट कंट्रैक्टर ई०पी०आई ने नियुक्त किये हैं वे लोग मजदूरों आदि के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। ये जो एसोसिएट कंट्रैक्टर या सब-कंट्रैक्टर हैं, वे वास्तव में बिल्डिंग कंट्रैक्टर हैं। चूंकि ई०पी०आई० को लगभग 3,300 मकानों को बनाने की व्यवस्था करनी थी, इसलिए उसने इन कंट्रैक्टरों की मदद ली है। ये कंट्रैक्टर अपने लेबर अपने आप भर्ती करते हैं और उन मजदूरों के लिए वेजेज, सर्विस कन्डीशन आदि के बारे में ई०पी०आई० निगरानी रखता है। And draws up a model control between the sub-contractor and the workers he recruits.

जैसा मैंने कहा है, जहां तक भोजन का संबंध है, इसकी व्यवस्था भी सब-कंट्रैक्टर ही करते हैं। मजदूरों के लिए उन्होंने कैंटीन खोल रखी हैं। इन कैंटीनों में मजदूरों को 5 दीनार से 7 दीनार तक देने पड़ते हैं। मजदूरों को महीने में लगभग 30 से लेकर 32 दीनार न्यूनतम रूप में मिलते हैं और ओवर टाइम मिलाकर यह राशि 38 दीनार तक पहुंच जाती है। इसमें से 5 या 7 दीनार भोजन के रूप में कट जाते हैं। जैसा मैंने कहा, जब मैं कुवैत गया था तो मैंने मजदूरों के साथ इन कैंटीनों में खाना भी खाया था। इस संबंध में अखबारों में लेख भी लिखे गये हैं। हमने भी इस स्थिति का अध्ययन कर के देखा है। वहां पर मजदूरों को जो पैसा खर्च करना पड़ता है वह आमतौर पर लगभग महीने में 10 दीनार खर्च करने पड़ते हैं। हमारे पास जो रिकार्ड है उसको चैक करके भी हमने देखा है। हमारा अन्दाजा यह है कि वहां का प्रत्येक मजदूर प्रति माह न्यूनतम एक हजार रुपये अपने घर को भेजता है। किसी किसी मामले में तो यह राशि और भी बढ़ जाती है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर अधिक खर्च करता हो तो वह कम रुपये अपने घर को भेजता हो। यह जो झंझट शुरू हुआ है और जिसके कारण हड़ताल भी हुई, इसके संबंध में पहले मजदूरों ने जो मांग की थी उसमें भोजन की मांग शामिल नहीं की गई थी। वास्तव में जो यह झंझट शुरू हुआ, यह एक सिक्यूरिटी के आदमी और एक मजदूर के बीच मुठभेड़ के कारण शुरू हुआ था। उसके दूसरे दिन वहां पर लोगों ने हड़ताल कर दी। जैसा कि मैंने कहा कि वहां पर लगभग 400 से 600 आदमी काम करते हैं और इसके लिए सभी सुविधाओं की निगरानी की जाती है।

एक सवाल यह भी पूछा गया है कि क्या हमारे देश से जाने वाले लोगों को नौकरियां देने में किसी प्रकार का अन्याय किया जाता है? आप जानते हैं कि मध्य एशिया और अरब देशों में हमारे देश से काफी बड़ी संख्या में लोग काम करने जाते हैं। इन देशों में कुवैत भी शामिल है। यहां दो बड़े कन्ट्रेक्ट, प्रेस्टिजियस कान्ट्रेक्ट ई०पी०आई० ने लिये हैं। एक 75 करोड़ रुपये का और दूसरा 30 करोड़ रुपये का, कुल मिलाकर 105 करोड़ रुपये का है। 30 करोड़ वाले पर काम की शुरूआत हो चुकी है और 75 करोड़ वाले पर जमीन

वाली साफ सफाई का जो मामला है, वहां तक पहुंच गई है । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और लोगों के मुकाबले में हमारी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स इस काम को बड़ी कामयाबी से कर रही हैं । मल्टीनेशनल्स और विदेशी कम्पनियां, चाहे किसी भी देश की हों इसको पसन्द जरूर नहीं करते हैं और किसी न किसी प्रकार की हरकतों का निर्माण किया जा रहा है । यहां इस मामले में किसी का हाथ रहा है या नहीं रहा है, इस बारे में इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता हूं । यह मामला 27 तारीख को हल हो गया है और उस दिन से काम जारी है । इसके बाद प्रयास यह है कि सितम्बर महीने में यह काम पूरा हो जाय । किसी तरह के घाटे की बात हमारे सामने न आ जाय । इस मामले की जांच शुरू कर रहे हैं कि दरअसल इसके पीछे किसी का हाथ था या नही । इसके पीछे क्या मकसद था, इसकी जांच कर रहे हैं और यह जांच करते समय अगर मजदूरों के हितों को लेकर कोई भी ऐसी चीज होगी जो अभी ठीक नहीं है तो उसको भी दुरुस्त करने का काम, न सिर्फ कुवैत के पूरे इलाके में बल्कि लीबिया तक पूरे गल्फ कन्ट्रीज में जहां हम बड़े पैमाने पर काम में लगे हुए हैं, जहां हमारे लोग काम कर रहे हैं, करेंगे ।

श्री इन्द्रदीप सिंह (बिहार) : उप-सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उससे कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होते हैं । मध्य पूर्व और अफ्रीका में हमारे देश की कम्पनियां ई०पी०आई० तथा अन्य सरकारी कम्पनियां हैं वहां निर्माण के कार्यों में लगी हुई हैं । इनके निर्माण कार्यों से न केवल हमारे देश की प्रावधिक कुशलता, टेक्नीकल और कम्पीटेन्सी का इजहार होना चाहिए बल्कि हमारे देश में मजदूरों के साथ जो मानवीय और सभ्य व्यवहार किया जाता है उसका भी इजहार होना चाहिए । मंत्री महोदय ने कहा कि ई०पी०आई० सब कांट्रेक्टर रखती है जिसको एसोसिएट कांट्रेक्टर कहते हैं । ये यहां से अपने लिए मजदूर बहाल करके ले जाते हैं उनसे कांट्रेक्ट करके । हम इस देश में यह आन्दोलन कर र हैं कि कांट्रेक्ट लेबर की प्रथा को उठा लिया जाय, परन्तु जब हमारे देश की सरकारी कम्पनी विदेश में काम करने जाती है वह तब न केवल यहां से कांट्रेक्ट लेबर ले जाती है बल्कि वह सब कान्ट्रेक्टर भी बहाल करती है जो कि यहां से कांट्रेक्ट लेबर ले जाता है । अभी मंत्री महोदय ने कहा कि ई०पी०आई० को सिक्युरिटी गार्ड रखने का अधिकार दिया गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि ई०पी०आई० को इसका क्या अधिकार है, ई०पी०आई० क्या अपनी पुलिस रखेगी ? क्या कुवैत की सरकार ने पुलिस बहाल करने का अधिकार दिया है । पुलिस बहाल करने के लिये सिक्युरिटी गार्ड्स के नाम पर गुंडों को बहाल किया है । उन गुंडों का जो सरदार है उसका नाम अली है । वह रोजाना तीन बार मजदूरों का रोल-काल करता है । इसको सुन कर मुझे गोरखपुरी लेबर कैम्प में जो हुआ करता था अंग्रेजी राज्य में उसकी याद आती है । सुबह रोल-काल, दोपहर खाने के बाद रोल-काल और फिर सोने के समय रोल-काल । यह अली जो सिक्युरिटी गार्ड है यह रोल-काल करता है मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ झगड़ा हुआ और 12 तारीख को अचानक हड़ताल हो गई । यह झगड़ा क्यों हुआ ? एक मजदूर देर करके आया रोल-काल में । अली के गुंडों ने उसको पीटा । उसको इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया और उसको सड़क पर फेंक दिया । दूसरे दिन सुबह हड़ताल हो गई । क्या यह असभ्य व्यवहार हमारे देश के लिए शोभनीय है । अपने देश में बांडेड लेबर को समाप्त करने के लिए कानून बना है और इस देश की कम्पनी इस देश के मजदूरों को लेकर विदेशों में बांडेड लेबर बना कर रखती है और इस बांडेड

[श्री इन्द्रदीप सिंह]

लेबर को बरकरार रखने के लिये गुंडों को बहाल किया जाता है। गुंडों का जो सरदार है वह इस देश का निवासी नहीं है वह किसी दूसरे देश से बहाल किया गया है।

मंत्री महोदय ने कहा कि 1.2 से लेकर इससे ज्यादा दीनार तक प्रति दिन उनको मजदूरी मिलती है। लेकिन वहां जो दूसरे मजदूरों की मजदूरी है उसकी तुलना में यह मजदूरी कितनी होती है। उसकी तुलना में यह मजदूरी 20 से 25 प्रतिशत होती है। चौगुनी पांचगुनी वहां के मजदूरों को मिलती है। इसलिए कांट्रेक्टर्स यहां से जो मजदूर ले जाते हैं वे भाग जाते हैं। वे भागने न पायें इसके लिए क्या किया जाता है जाते ही उनके पासपोर्ट ई०पी०आई० छीन लेता है, जब्त कर लेता है और तीन बार उनके रोल-काल लिए जाते हैं और यह सिक्युरिटी फोर्स जो बहाल की गई है वह इसलिए की गई है कि वे भागने न पाएं। इस हालत में उनको रखा जाता है। उनको आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया जाता। मजदूरों की मांग है कि उनको आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएं, जब उनके पासपोर्ट आपने छीन लिए हैं, रोलकाल बन्द किया जाए, मुनासिब तनख्वाह दी जाए। तो यह सारी मांगें उनकी कितने दिनों से हैं। एक दिन हड़ताल इसी घटना को लेकर हुई लेकिन असन्तोष बहुत पहले से था। मंत्री महोदय ने कहा कि हम प्रेसटजियस प्रोजेक्टस हाथ में लिए हुए हैं, खुशी की बात है। लेकिन प्रसटेजियस प्रोजेक्टस को आप बनाइयेगा, क्या इस देश में जितना मजदूरों का शोषण होता है उससे ज्यादा शोषण विदेशों में ले जा कर के वहां लेवर को कैदी बना कर, वहां रोल-काल लेकर, सिक्युरिटी फोर्स लगा कर, वहां जो प्रचलित मजदूरी है उसकी एक चौथाई मजदूरी देकर, इस तरीके से आप प्रेसेटेजियस प्रोजेक्टस बनाना चाहते हैं? मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, जैसा कि वे कहते हैं कि एक दिन वे खुद भी देख आए हैं, यह बड़ी खुशी की बात है। एक मजदूर नेता की हैसियत से या भूतपूर्व मजदूर नेता की हैसियत से क्या वे समझते हैं कि यह अवस्था वाजिब है कि मजदूरों को वहां पर बन्धक बना कर रखा जाए, उनका रोल-काल लिया जाए, उनका पासपोर्ट छीन लिया जाए, उनको आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया जाये, उनकी प्रचलित मजदूरी की एक चौथाई मजदूरी दी जाए और अगर वे शिकायत करें तो उनको डंडों से पीटा जाए, बेहोश कर दिया जाए। क्या आप इसको मुनासिब समझते हैं? अगर मुनासिब नहीं समझते हैं तो इस अशोभनीय अवस्था को समाप्त करने के लिए और वहां सभ्य व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री जार्ज फ्रनेंडोज : उपसभापति महोदय, दो तीन सवाल हैं। एक तो यह कि क्या जिस देश में हम जा कर काम कर रहे हैं उसी देश में जो तनख्वाह वहां के लोग पा रहे हैं वही यहां से जाने वाले लोगों को मिलेगी? हां, अगर उस देश के साथ सीधा रिश्ता बनाकर कोई व्यक्ति जावे तो उसको मिल सकती है। जैसे कोई परदेशी अगर हिन्दुस्तान में आए और यहां पर अपनी तरफ से कहीं नौकरी में भर्ती हो जाए तो उसको इस देश में तनख्वाह वही मिलेगी जो यहां पर सबको दी जाती है लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष कंट्रेक्ट को ले कर यहां पर आए तो वह उन्हीं शर्तों पर यहां आने पर काम करता है। जैसे हमारे कई पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्टस में विदेशी एक्सपर्टस काम करते हैं, कर रहे हैं, रूसी इंजीनियर हमारे कारखानों में काम कर रहे हैं, अमरीकी स्पेशलिस्ट कहीं कहीं पर काम कर रहे हैं, फ्रांस और जर्मनी से लोग यहां आकर काम कर रहे हैं। इन लोगों को जो तनख्वाह देते हैं वह हम जो अपने देश में इंजीनियर्स को तनख्वाह देते हैं वह नहीं है। जिस तनख्वाह पर वे अपने देश से कंट्रेक्ट बना कर यहां पर आते हैं वह देते हैं जो हमारे इंजीनियरों को मिलने वाली तनख्वाह से कई गुना ज्यादा है। वहां से जो टेक्नीशियन, फिटर्स और मैकेनिक्स कई बार विशेष काम के लिए

आते हैं तो उनको यहां के इंजीनियर्स से भी ज्यादा दिया जाता है। इस तरह से जब हम कभी भी किसी मुल्क में कंट्रेक्ट ले कर जावें तो उस कंट्रेक्ट के साथ मजदूरी को जोड़ने का काम हमारी कम्पनियां करेंगी कि उनको वहां पर क्या मजदूरी दी जाएगी। उस आधार पर कभी नहीं होगा कि वे किस तनख्वाह पर अपने मजदूर भर्ती कर सकते हैं, इसी आधार पर होगा। अभी तक जो काम हुआ है वह इसी आधार पर हो रहा है। अगर हम लोग यह शर्त लगायें, तय करें कि नहीं जो कंट्रेक्ट आगे लिया जाएगा वह उसी शर्त पर लिया जाएगा कि जो तनख्वाहें उन देशों में मिलती हैं उससे एक पाई कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिए तो एक अलग बात है। मगर जैसे सारे अन्तर्राष्ट्रीय कन्ट्रेक्ट में, न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि जिस-जिस मुल्क के लोग जहां-जहां जाते हैं वह अपनी कुछ तनख्वाह आदि तय करके जाते हैं, ऐसी मेरी समझ है। यह सिलसिला यहां पर भी चल रहा है।

SHRI B. N. BANERJEE (Nominated): I want one clarification. I want to say that if you fix their salary or wages here, that should be more or less the same type of wages as a labourer gets in that country.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : मैं वही तो कह रहा हूं। एक तो यह तय किया जाये कि भारत सरकार की ऐसी नीति बन जाये। यह नीति नहीं थी। आज तक भारत सरकार की यह नीति नहीं थी कि जिस देश में हमको कान्ट्रेक्ट लेना था उस देश के नागरिकों को जो भी तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह के बगैर हमारा मजदूर नहीं जाएगा, यह नीति नहीं थी। आप जिस प्रकार जाकर दुनियां के अन्य मुल्कों में कंट्रेक्ट लेते हैं या अन्य मुल्क वाले भी लेते हैं, केवल हम ही नहीं। जिन देशों में कम्पीटीशन होता है वे 2-3 मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ विशेषकर कंप्टीशन होता है जैसे नम्बर एक है कोरिया, नम्बर दो कई जगहों पर चीन, इन दो मुल्क वालों के साथ विशेषकर कंप्टीशन होता है और तीसरे नम्बर पर पाकिस्तान है तो इन मुल्कों के साथ कंप्टीशन में हम ये काम लेते हैं। अगर भारत सरकार यह नीति बनाएगी सबकी राय से तो इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन हम उन मामलों पर बहस कर रहे हैं जो पहले के बहुत से कांट्रेक्ट हैं। ये सारे कांट्रेक्ट और आगे भी इस समय जो हम नेगोशियेट करके पायेंगे इसमें तनख्वाह की जो बात है वह हम अपने देश की स्थिति, यहां से जाने वाले लोगों की स्थिति और वहां के पूरे रहन-सहन खर्च आदि की स्थिति, इन सारी बातों को मद्देनजर रखकर, कान्ट्रेक्ट करते है। जैसे अनस्किल्ड मजदूर अगर यहां से कुवैत जाता है या किसी भी अरब देश में जाता है तो जो उनकी महावार तनख्वाह 12-13 सौ के बीच में होती है, उस तनख्वाह और हिन्दुस्तान में जो अनस्किल्ड मजदूर की तनख्वाह होती है, जो वह पाता है उसमें बहुत अन्तर है। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को जगह दी जाती है, कई जगह मैं कुवैत की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन कई जगहों पर जहां तेल की सम्पत्ति निर्मित होती है, बगैर काम किए हुए लोगों को पैसा दिया जाता है, कुछ भी काम नहीं करते हैं और उनको खान-पान, रहन-सहन सब मिलता है।

जिन मकानों पर हम कार्य कर रहे हैं उस एक मकान को बनाने की लागत है 6 लाख रुपए और ये मकान वहां पर दिए जाते हैं वहां के मजदूरों को। 6 लाख की लागत से बन रहे मकान कुवैत के मजदूरों को देने के लिए बन रहे है अमीरों के लिए नहीं बन रह हैं। हाउसिंग स्कीम है 3300 मकान है और इन मकानों में रहने वाले मजदूर हैं, और इनमें से कई लोग नौकरी वगैरह भी नहीं कर रहे हैं। मेरी हाउसिंग मिनिस्टर से बात हुई थी उन्होंने कहा कि कुछ टोकन पैसा ले कर हम उनको मकान दे रहे हैं क्योंकि हमारे देश में तेल की सम्पत्ति का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह, इस सम्पत्ति को लोगों के बीच बांटने का काम हो रहा है। इस तर्क को आगे

[श्री जार्ज फर्नेंडीज]

चलायें तो यह भी कहना पड़ेगा कि 6 लाख रुपए के मकान में मजदूर रहते हों तो जब तक इस प्रकार का इंतजाम आप अपने मजदूरों के लिए नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं करना चाहिए, तो यह तर्क कहां तक सही हो सकता है। इसलिए जिस कान्ट्रेक्ट को आज हम अमल में ला रहे हैं यह तीसरा साल है। 76 से काम शुरू हो गया है और आज तीन साल हो गए हैं मैंने कहा था कि चार महीनें इसमें विलम्ब हो गया है।

जो कान्ट्रेक्ट में हस्ताक्षर करके गए हैं, उसको तोड़ने का काम किसी भी तरफ से नहीं हुआ है। दूसरी बात आती है एक तो ई० पी० आई० कान्ट्रेक्टर तथा और सब कांन्ट्रेक्टर। वह सब कान्ट्रेक्टर वह नहीं हैं। मजदूरों को भर्ती करके ले जाने के लिए वे सब कान्ट्रेक्टर नहीं है। जो 3300 मकान बांधने का कान्ट्रेक्ट है वह 13 कान्स्ट्रेक्शन कम्पनियों में बटा हुआ है और ये कांस्ट्रक्शन कम्पनियां मजदूरों को सीधे भर्ती करती हैं और यहां से ले जाने का काम करती हैं। यह बात कही जा सकती है कि हमें इस प्रकार का काम तो नहीं करना चाहिए कि जहां सीधे हम अपने मस्टर पर लोगों को रिक्रूट कर जब तक नहीं ले जा सकते तब तक काम नहीं करना चाहिए। यह कहां तक सम्भव है। इस पर सोचा जाये कि एक कम्पनी विदेशी मुल्क में कांट्रेक्ट पाती है, पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग पाती है और उसको यह कहा जाय कि कान्ट्रेक्ट पाने पर आप लोगों को भर्ती करिए तो यह सम्भव नहीं होगा। इस देश में जो बिल्डर्स हैं, जो मकान बाधने वाली कम्पनीज हैं, जिनके पास स्किल्ड लोग हैं, अलग-अलग विभाग हैं जो तत्काल या महीने या सप्ताह भर में लोगों को भर्ती कर सकती हैं उन्हीं को ले कर आप यह कान्ट्रेक्ट कर सकते हैं जैसे आज हमारे सामने लीबिया—लीबिया के प्रधान मंत्री अभी यहां पर आए थे—जो कान्ट्रेक्ट लीबिया में मिलने के लायक हैं, ऐसी मेरी समझ है अगर हम कांपटीटिव रह पाए और अन्य चीजें ठीक ढंग से चलीं तो ऐसे कांस्ट्रक्शन हमारे हाथ में आयेंगे जो अरेबिया से दुगुने, चारगुने या पांच गुने बढ़ सकते हैं। लेकिन न ई०पी०आई० न हमारी किसी भी सार्वजनिक संस्था के पास आज बनी बनाई मजदूरों की फोर्स है जिसे वहां ले जायें और कह दें कि कान्ट्रेक्ट ले रहे हैं और फिर कान्ट्रेक्ट लेने के बाद स्टिपुलेटिड टाइम में उसको पूरा भी करना है। यह सारे झंझट हैं। तो आप जरूरी उन लोगों के पास जायेंगे जो बिल्डिंग क्षेत्र में काम करने वाली कम्पनियां हैं और उनके साथ बातचीत करके उनको ले जायेंगे और काम करेंगे। इसके बगैर काम हो सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

अब जो और दो ठोस बातें कहीं गई हैं—आइडेंटिटी कार्ड की मांग करते थे, वह नहीं दिया और दूसरे रोल काल होता है यह बड़ा जुल्म है। यानि लोगों की रोज सुबह शाम हाजरी लेने की बात करते हैं। हाजरी लेना कब से मजदूर विरोधी काम हो गया, मेरी समझ में नहीं आता। हाजरी लेने की बात के सम्बन्ध में मैंने बताया कि दस प्रतिशत हमारे मजदूर इस काम पर भेजे गए हैं। वे अगर गांव में जा कर दूसरे का काम कर रहे हों, तो हमारा काम रुक जाता है, ई० पी० आई० का काम रुक जाएगा और देश का नुकसान हो जाएगा और दूसरी तरफ टाइम-शेडयूल बिगड़ जाएगा और फिर कोई कहे कि आए हैं अपने हिसाब से और जायेंगे अपने हिसाब से, यह सम्भव नहीं है। कुछ न कुछ तो अनुशासन लगाना ही पड़ेगा। बगैर अनुशासन कैसे काम हो सकता है। किसी की पिटाई न हो और किसी को मारा न जाए, यह तो मैं समझ सकता हूं और यह जो 11 तारीख को घटना घटी, वह गलत घटना रही किसी को भी किसी दूसरे को मारने का अधिकार नहीं है।

सिक्यूरिटी गार्ड की बात कही। सिक्यूरिटी गार्ड कहने का मतलब यह नहीं था कि कोई पुलिस फोर्स ई० पी० आई० ने वहां रखी है। उसका मतलब जो वाच एण्ड वार्ड है जो कालोनी है उसकी सुरक्षा की बात को

देख रहे हैं और हम लोगों का वहां जो काम हो रहा है, उसकी निगरानी कर रहे हैं। इसका जिक्र किया। ई० पी० आई० के पास कोई पुलिस फोर्स नहीं है। लेकिन रोल-काल के बगैर काम नहीं होना है और आइडेंटिटी कार्ड का यह मतलब हो कि आइडेंटिटी कार्ड को लेकर आदमी कहीं और जाकर नौकरी करने का प्रयास करे, तो यह बात सम्भव नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : मंत्री जी के जवाब से दो-तीन बातें पैदा हुई हैं। उन्होंने बड़ी खूबी के साथ यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि जो मजदूर भारत से गये हैं और जो वहां स्थानीय मजदूर की मजदूरी है उसमें बहुत बड़ा अन्तर है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या जब मजदूरों को यहां भर्ती किया जाता है, उनको यह बड़ा अन्तर बता दिया जाता है ? अगर बताया जाता है तो बताने के बाद वे उस बात को मंजूर करके जाते हैं या नहीं ?

दूसरी बात जो उन्होंने कही है उससे यह लगा कि झगड़ा इस बात पर शुरू नही हुआ कि उनकी मजदूरी के टर्म्स क्या थे, क्या नहीं थे या कि उन्होंने जो मांग की थी पूरी की गई या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि झगड़ा सिक्यूरिटी गार्ड के साथ झगड़ा होने से प्रारम्भ हुआ। अगर झगड़ा सिक्यूरिटी गार्ड से केवल मुठभेड़ के बाद शुरू हुआ तो इसका कारण क्या है ? यद्यपि बात मेरी समझ में यह नहीं आई। लेकिन मै मानता हूं कि सब सिक्यूरिटी गार्ड हमारे भारतीय ही है। वहां की कुवैत सरकार के भर्ती किए हुए नहीं हैं। प्रश्न उठता है कि यदि भारतीय सिक्यूरिटी गार्ड के साथ झगड़ा हुआ है तो वे कम्पनी के दफ्तर को लूटने या झगड़ा करने के लिये क्यों गये ? या तो उनके झगड़े का सम्बन्ध उनकी सर्विस कंडिशन से कुछ नहीं है यह बात गलत है और या यह कि झगड़ा सिक्यूरिटी गार्ड से मुठभेड़ के कारण हुआ, यह गलत है। अगर सिक्यूरिटी गार्ड भारतीय ही है तो वे झगड़ा करने के लिए कम्पनी के दफ्तर में क्यों गये ? इस सम्बन्ध में मैं एक बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वह यह है कि कुवैत सरकार का भारतीयों के प्रति रवैया पूर्ण सम्मान-पूर्ण नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे सिख भाइयों का एक शिष्टमंडल वहां कुवैत एम्बैसेडर से मिला था। यद्यपि केवल सिख मिले, लेकिन सिख कोई अलग नहीं हैं। सिख सारे हिन्दुस्तान के भारतीयों के एक भाग हैं। मध्य पूर्व के कई देशों में सिखों के जाने पर, घुसने पर, कुवैत में गुरुद्वारों में जाने आदि पर प्रतिबन्ध है। तो क्या इस झगड़े के पीछे हमारे भारतीयों के प्रति कुवैत की सरकार और कुवैत के लोगों का जो हीन-भाव है, वह तो नहीं है ? क्योंकि मुझे लगा कि झगड़ा प्रारम्भ हुआ एक सिक्यूरिटी गार्ड से और मंत्री महोदय के कहने से यह साबित हुआ कि उनकी सर्विस कंडिशन आदि से कुछ लेना-देना उसका नहीं है। तो क्या यह जो दुर्भाव उन में है, यह तो उसका कारण नही है ?

दूसरे, उन्होंने यह भी कहा है कि दूसरे देशों के मजदूर भी वहां काम करते है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि जिस दर पर भारतीय मजदूर वहां पर हैं और कुवैत के बाहर के अन्य देशों के मजदूर वहां हैं, उनकी जो मजदूरी की दर है, उसमें कितना अन्तर है?

अंत में मैं यह पूछना चाहूंगा कि हमारा वर्तमान कांट्रेक्ट—जो उन्होंने कहा 1976 का

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

है, वह तो पिछली सरकार का है। बिलकुल ठीक है, हो सकता है पिछली सरकार अपनी कंपनी के काम का मुनाफा इस आधार पर करती हो कि मजदूरों को तो पैसा कम दो। अपनी कार्यकुशलता आदि के आधार पर कांट्रेक्ट न स्वीकार करवा कर मजदूरों के ऊपर आने वाले खर्च को और कम करके सस्ते पर हम ठेका ले लें क्या सरकार इस नीति को बदलने की कोशिश करेगी कि मजदूरों को कम पैसा देकर ठेका ले लें, और कार्यकुशलता और कारगुजारी चाहे उसका आधार न हो? मेरा मत यह है कि यद्यपि हमारे भारतीय अपने घर में कम कमाते हैं लेकिन वहां जाकर जब देखते हैं कि दूसरों को बीस-गुना मिलता है, पच्चीस गुना मिलता है तो उनमें ईर्ष्या जगती है—अभी कई साथियों ने कहा था कि वे एक प्रकार से कैम्प में रखे जा रहे हैं। वास्तव में सारे मजदूर कैम्प में ही रखे जा रहे हैं—स्वभावतः उनकी इच्छा यह होती होगी कि हमें चार-गुना, छः गुना मजदूरी मिल सकती है लेकिन आज डंडे के बल पर, सिक्योरिटी के गार्ड के पहरे के अन्दर हम मजबूर किये जा रहे हैं काम करने के लिए। इस प्रकार से मजबूर करना कहां तक उचित है? वहां पहुंच कर आइडेंटिटी कार्ड ले लिया जाएगा, और वहां यह मजदूरी है वहां के मजदूरों की, दूसरे देशों की मजदूरी का यह अन्तर है, क्या ये सब जानकारी पूरी तौर से अनपढ़ मजदूरों को पहले दी जाती है और दी जाने के बाद वे विदेश जाते हैं?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : उपसभापति जी, यहां से जाने वाले सभी लोग अनपढ़ नहीं हैं, पढ़े-लिखे लोग भी है, और अगर कई लोग निरक्षर हों, अनस्किल्ड क्षेत्र में कुछ काम करने वाले हों फिर भी हर व्यक्ति यहां से जाने से पहले अपने कांट्रेक्ट पर हस्ताक्षर करता है और जैसा बताया गया, नोटेरी पब्लिक के सामने कांट्रेक्ट पर हर व्यक्ति हस्ताक्षर करता है, और क्या तनख्वाह दी जाएगी और क्या शर्तों पर वे काम करने जा रहे हैं यह उनको मालूम होता है। बांडेड लेबर और ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का सवाल कहां उठता है। यह सवाल नहीं उठता है क्योंकि जो व्यक्ति वहां जाना चाहेंगे वे ही व्यक्ति जा रहे हैं, स्वेच्छा से जा रहे हैं, किसी को जबर्दस्ती यहां से वहां चलो कह कर नहीं ले जाया जाता। जो तनख्वाह यहां मिलती है और जो तनख्वाह वहां मिलेगी उस में क्या फर्क है यह बात वह निश्चित तौर से जानता है जब वह हस्ताक्षर करता है कि रोज 3 कुवती दीनार, यानी रोज़ 90 रुपये, तनख्वाह मिलेगी और अमुक-अमुक चीजों की व्यवस्था वहां की जाएगी। तो ये सारी चीजें ध्यान में लाने के बाद उसे काम में भर्ती किया जाता है। . . . (*Interruptions*)

. . . . मैं जानता हूं, एक तो यहां की और वहां उस को मिलने वाली तनख्वाह में क्या फर्क है, अंतर है, उनको मालूम रहता है। दूसरे, और मुल्कों के लोग जो वहां काम करते हैं उनकी तनख्वाह में और इनकी तनख्वाह में क्या अन्तर है, यह बात बताना मुश्किल है कि किस समय कौन कम्पनी वाले अपने कर्मचारियों को क्या तनख्वाह देते हैं। अब जैसे, मान लीजिए, तांजानिया में रेल बनाने का काम चीनी लोग करते हैं, हमारे यहां के लोग इंडस्ट्रियल स्टेट को खड़ा करवा रहे हैं, तो चीनी कर्मचारियों को, मजदूरो को वहां पर क्या तनख्वाह मिल रही है—यह कौन कहना चाहता है? अरब देशों में दक्षिण कोरिया के लोग बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं; उनकी तरफ से वहां काम करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको मिलिट्री डिसिप्लिन में लाकर लाया जाता है, वे मिलिट्री डिसिप्लिन में वहां रहते भी है। अब हम कहां पूछने जाएं कि दक्षिण कोरिया के लोग जो सेना के, मिलिटरी के,

डिसिप्लिन में वहां काम कर रहे हैं उनको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ? हमारे लिए वह पता लगाना नामुमकिन है । तो इस लिये औरों के मुकाबले हमारे लोगों को क्या मिल रहा है इसकी जानकारी हासिल करना मुश्किल है और नम्बर दो, यह चीज सम्भव भी नहीं है । जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा कि एक रात को इस मुठभेड़ से यह सारा मामला कैसे पक गया, तो मैंने जैसा कहा कि पिछले तीन, चार, छः महीने से यह पता चलने लग गया था कि हमारे लोग वहां जा कर काम नहीं करते हैं, बल्कि बाहर जाकर काम करते हैं । तो इसलिये हमने सारा डिसिप्लिन का मामला टाइटेन अप किया, उसके लिये कहा । मैंने कहा कि यह चीज तो चल नहीं सकती । ऐसा होने से कम्पनी को घाटा हो जायेगा और उससे देश की बेइज्जती भी हो जायेगी । हमने अपने लोगों को डांटा । हमने कहा कि इस बात को आप लोगों को ठीक करना चाहिए । तो यह एक अर्से से बिगाड़ चल रहा था । जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता उसे ठीक किया जाने लगा, उनमें जो लोग बाहर जाकर ज्यादा कमाते थे, उनमें इसके कारण असन्तोष फैल गया और हो सकता है कि उन लोगों ने अपना मन इस मामले में कुछ बनाया हो । इसमें बाहर के लोगों का कोई हाथ है क्या, जैसा मैंने कहा, हम इसकी जांच कर रहे हैं । मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाने के लिये ऐसा कोई भी कर सकता है । जबकि दूसरों के साथ लड़ करके इस कांट्रेक्ट को हम लोगों ने वहां जाकर पाया है और आज अरब देशों में बड़े पैमाने पर इस तरह के कांट्रेक्ट हम लोग पा रहे हैं तो ऐसा काम कोई कर सकता है और माननीय सदस्य ने एक बात और पूछी कि सिक्खों पर किसी रोक का मामला है, तो मैं बताना चाहता हूं कि कुवैत में सिक्खों के जाने पर किसी तरह की कोई पाबन्दी नही है, कोई प्रतिबन्ध नहीं है और हमारे जो प्रोजैक्ट हैं उनमें बड़ी संख्या में पंजाब के सिक्ख काम में लगे हैं और काम कर रहे हैं और उनमें किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं है ।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): Sir, may I submit first to the Members of this House that this should not be taken purely as a labour problem and nobody is here pleading for an anti-labour policy? Sir, I would like to tell the Minister and the Members also that this is a problem of a country competing with other countries in the world for getting contracts in order to earn foreign exchange for the country's sake and for the sake of those who are employed there. So, if that line is adopted, then this type of questions, whether the labour should be employed permanently on the project, whatever the company there be, or whether they are casual labour or contract labour, will not arise. Sir, it has been fairly brought out that 13 building companies have been given associate contracts and these labourers have gone there on a fixed contract on the basis of an agreement. Sir, particularly I want to draw the attention of the Minister, in this connection, to the fact that I find in the attitude of the organisation, particularly with regard to labour-management problem, a little weak spot. Therefore, you will have to improve the labour-management systems in your organisation so that such type of tensions are not created. One can see that nobody would support a labourer going from here and hankering after some higher wages there. Nobody will support it. And I am not here to support that type of system or that type of desire on the part of the workers who have been sent there from here. But, at the same time, I would like to point out that there is some lacuna in the management of your organisation which should be set right so that such problems will not arise.

Another thing is, I have read in some Korean paper that particularly the Koreans, the Chinese and the

[Shri Arvind Ganesh Kulkarni]

Canadians are interested in throttling and sabotging the attempts of this *country to* compete in the international world. Therefore, to meet such a situation the Government has *to* adopt certain measures, certain policies which will give a positive direction not only to the public sector organisation but also the labour leaders in this country and the workers there that this is a national job which has to be carried out with a national desire because our national prestige is involved in it.

SHRI GEORGE FERNANDES: I am grateful to the Member for the various points made. I would only point out, Sir. that we are trying to strengthen our own labour relations wings. But the wage rates and other contracts that are presently signed are all vetted and approved by the Labour Ministry of the Government. I may also point out that one of these contractors is a public sector undertaking. The Delhi State Industrial Development Corporation is one of the 13 builders who have taken specific responsibility and is operating in Kuwait today with the Ardiya Project.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा कि 1976 में यह कांट्रैक्ट हुए और यह भी बताया कि कांट्रैक्ट करते वक्त यहां से जो काम करने के लिए जाते हैं उनको सब बता दिया जाता है कि कितनी तनख्वाह है, जब वह कांट्रैक्ट पर दस्तखत करता है। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि उस कांट्रैक्ट में यह भी बात है कि कोई जो वहां पर काम करेगा अपनी ग्रिवांसेज के लिए बोल नहीं सकेगा। वह बोलेगा नही, किसी तरह की आवाज़ नहीं उठायेगा ? वहां जितने भी वीसा लेने के लिए गये क्या उस सरकार की तरफ़ से कोई इस तरह का प्रतिबन्ध है कि यहां जो आयेंगे वह अपनी ग्रिवांसेज के लिए बोल नहीं सकेंगे और यदि है, तो भारत सरकार ने इसको दूर करने के लिए क्या किया है ?

दूसरा सवाल मन्त्री महोदय ने कहा कि 12 जुलाई को जो हड़ताल हुई उसके लिए कोई नोटिस नहीं दी गई, सूचना नही दी गई। तो यह हालत तब होती है जब यूनियन नहीं होती है, मजदूरों के बीच में यदि ट्रेड यूनियन हो वह रजिस्टर्ड हो, उसका सेक्रेटरी हो तो वह सूचना देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो भारतीय वहां पर काम कर रहे हैं उनकी कोई ट्रेड यूनियन है, संगठित रूप से कोई यूनियन या रिप्रिजेन्टेटिव बाडी है? यदि नहीं है तो आप जानते हैं कि मजदूरों की ग्रिवांसेज को दूर करने के लिए ट्रेड यूनियन की ज़रूरत होती है तो उनके बीच में ट्रेड यूनियन का प्रबन्ध हो, उसके लिए आप क्या रास्ता निकाल रहे हैं कि उनको कहें कि तुम्हारी ट्रेड यूनियन हो ताकि तुम अपनी शिकायतों के लिए ठीक तरह से लड़ सको ?

तीसरा सवाल है कांट्रैक्ट लेबर का। मन्त्री महोदय ने कहा कि सब-कांट्रैक्टर्स, कांट्रैक्टर्स नही कम्पनी खुद कांट्रैक्ट करती है। यह बात इम्मटीरियल है कि कम्पनी कांट्रैक्ट करे या आपके कांट्रैक्टर्स करें या छोटी कम्पनी करे। इस सिलसिले में जो कोई भी जाता है वह शोषण करता है। कांट्रैक्ट लेबर के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला हांगकांग और कैलिफोर्निया में, कलूर में मैं काम कर रहा था। ये बाते थीं, लेकिन मैने उसका विरोध किया और मैं वायड हुआ, हटा दिया गया। तो यह जो शोषण होता है चाहे कम्पनी के जरिये हो, चाहे सब-कांट्रैक्टर्स के जरिये से हो, यह सिलसिला बिल्कुल गलत है। आपने कहा कि यह सम्भव नहीं है कि सबको हम बहाल करें। इतने लोग आये हैं। आखिर हम प्लाण्ड इकानामी चलाना चाहते है। इम्प्लायमेंट का हिसाब-किताब रखना चाहते है, पापुलेशन के हम स्टेटिस्टिक्स लेते है तो

चार हजार भारतीय वहां जायेंगे हमारी तरफ़ से रेक्रूट होकर जायेंगे तो यह मुश्किल नही है ।

तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कांट्रैक्ट छोटा हो या बड़ा मिडिलमैन को आप हटा कर भारत सरकार अपनी तरफ से रेक्रूट कर मजदूरों को वहाँ भेजने के बारे में सोचेगी ?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : उपसभापति जी, जो कांट्रैक्ट यहां पर लिखा जाता है उसमे मजदूर अपने ग्रिवासेज के लिये बोलेगा नही, ऐसी शर्त नहीं है । किसी प्रकार की शर्त कांट्रैक्ट में नही है । चूंकि कांट्रैक्ट हमारे मुल्क में है, अपने मजदूरो मे लेकिन जब वे बाहर जाते हैं तो उनके मुल्कों में अलग-अलग कानून होते हैं, जिनके अन्तर्गत हमे रहना पड़ता है । जहां तक मेरी समझ मे आता है किसी भी अरब-देश में इस तरह की ट्रेड यूनियन्स नही हैं और यह अधिकार वहा के

1 P.M. अपने लोगों को भी नही है । इस प्रकार का अधिकार देने का कानून वहा पर हो, ऐसा मुझे नही लगता। इसलिये कुछ दिक्कतें जरूर हैं । पिछले कुछ दिनो से अपनो तरफ से मजदूरों की समस्याओ को हल करने के लिये, हमारी सारी कम्पनियां, जो विदेशों मे काम करती हैं उनके भीतर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिसके चलते किसी भी प्रकार की शिकायत अगर मजदूरों की हो वह दूर करने में मदद करे इस सम्बन्ध में मै श्रम मन्त्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों से बातचीत कर रहा हूं । दरअसल इस समय एक छोटी-सी कमेटी बिठाई गई है जो विदेश में हम लोगों की तरफ से काम के लिए जाने वाले लोग है, अपने कांट्रैक्ट पर, अपने-अपने काम से जो जाते हैं, विलायत जाते हैं, उनकी बात मै नहीं कह रहा हूं, लेकिन सरकारी कांट्रैक्ट के चलते या निजी कांट्रैक्ट के चलते विदेश में जाने वाले हमारे कर्मचारी है उनकी परेशानी दूर करने के लिये, उनको आवश्यक सुरक्षा देने के लिये हमें क्या-क्या करना है इस बारें में वह पूरी गम्भीरता से सोच रही है । कुछ ही दिनो के भीतर इस बारे में कुछ निर्णय हो जाएगा और उस पर हम अमल करेंगे ।

श्री शिव चन्द्र झा : यूनियन के बारे में मैने पूछा था ।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वे अपनी यूनियन बनाएं तो मेरा यह निवेदन है कि अगर उस मुल्क मे यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है तो हम यह नहीं कह सकते उनको कि हम कांट्रैक्ट तब लेंगे, जब हमारे लोगों को यूनियन बना कर काम करने का अधिकार तुम दोगे । यह बात हो नहीं सकती । जो कांट्रैक्ट लेबर आफ प्लाण्ड इकोनोमी की बात हमारे मित्र श्री शिव चन्द्र झा ने कही, इस बारे मे मैं बताना चाहता हूं कि जब हम विदेश मे कांट्रैक्ट लेते हैं, तो उसमें किस प्रकार की प्लानिंग हो सकती है यह हम नही सोचते । आज हमारे पास एक कांट्रैक्ट है जिसमे छः हजार लोग काम कर रहे हैं । मैने कहा कि यह 105 करोड़ रुपये का है और दो हमारे पास तत्काल काम करने लायक कांट्रैक्ट कुवैत में हैं । आज आडिया में 6 हजार लोग काम कर रहे हैं । पहले अ डिया में तीन हजार लोग काम कर रहे थे। जैसे-जैसे काम बढ़ता जाता है, लोगों को रखते जाते है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले मकान की डिलीवरी हम को तीस सितम्बर को करनी है । इसका मतलब यह है कि हमें 800 मकान की डिलीवरी 30 सितम्बर तक करनी है । जब हम 800 मकान की डिलीवरी पूरी करेंगे तो हमारे सामने समस्या आ जाएगी और एक हजार मजदूरों की हमें जरूरत नहीं रहेगी । हमारे लिये यह समस्या हो जाएगी कि हम उनकी क्या प्लानिग करे और किस प्लाण्ड इकोनोमी में उनको बैठायें ।

श्री शिव चन्द्र झा : फारेन एम्प्लायमेंट ब्यूरो ।

श्रीजार्ज फर्नेन्डीज : फारेन एम्प्लायमेंट ब्यूरो में उनको कैसे रिक्रूटमेंट देना है, यह अलग बात है, लेकिन ई० पी० आई०, एन० बी० सी० सी० और कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग विदेशों में जाकर विशेष कांट्रैक्ट लेते हैं, एक टर्म का जाब लेते हैं और काम को करते हैं. उनको अगर यह कहा जाए कि इस तरह से अपने नियोजन को बनाएं कि दुनिया के किन मुल्कों में कब आपको कांट्रैक्ट मिलेगा, इन सब चीजों का वर्क फोर्स बना कर अपने मस्टर रोल पर रखो और जब मौका आ जाए तब विदेशों में भेजने का काम करो तो यह संभव नहीं है । अगर सेना के लोगों को भेजना है, तो यह संभव है । हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था को चलाएं तो यह संभावना मुझे नजर नहीं आती ।

जैसा मैंने कहा आज वहां पर कांट्रैक्ट के रूप में दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कारपोरेशन, जो एक सरकारी संस्था है उसके अपने कर्मचारी काम कर रहे हैं । लेकिन दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन अगर वहां पर पांच सौ मजदूरों को काम देती है और पांच सौ ही मकान बनाने की जिम्मेदारी ली गई हो, उनको भी यह कहना कि तुम पांच सौ मजदूरों को हमेशा के लिये अपने मस्टर रोल पर रखो, जब कि उनका कांट्रैक्ट खत्म हो जाए, तो उनके लिये भी बड़ा मुश्किल होगा । उपसभापति जी, इसका सीधा जवाब उनसे मिल सकता है इसकी मुझे बिल्कुल भी संभावना नहीं है । मैं यह जरूर कबूल करता हूं कि लोगों का शोषण न हो और किसी प्रकार का शोषण न हो, इस बारे में हमें हर प्रकार से प्रयास करना चाहिये और जो आवश्यक कानून या दूसरे किस्म के इंतजाम करने हों, वे इंतजाम हमें करने चाहियें । इस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं ।

श्री श्यामलाल यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है एक मजदूर के नेता के लिये उचित नहीं है । क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह सही बात नहीं है कि जो हमारे अंडरटेकिंग्स हैं ई० पी० आई०, हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन, काम कर रहे हैं, उन्होंने ठेकेदारों को सारा काम दे दिया है । एक काम के लिये आठ-आठ ठेकेदार रखे हुए हैं । एक ठेकेदार, उसके नीचे दूसरा ठेकेदार और उसके नीचे तीसरा ठेकेदार, इस तरह से आठ ठेकेदार रखे गये हैं । इस तरह से इंजीनियरिंग प्रोजैक्ट में काम करने वालों के बीच में आठ ठेकेदार हो गये हैं । इंजीनियरिंग प्रोजैक्ट लिमिटेड में जो ठेकेदार हैं, वे तो ठेके का काम कर रहे हैं और वह बैंक गारण्टी का काम कर रहा है । मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर 6 हजार रुपये पर काम करने का ठेका लिया गया और उसमें 10 ठेकेदार हैं तो यह कहा जा सकता है कि वे 6 सौ रुपये पर काम कर रहे हैं । वहां पर काम करने वाले मजदूरों के लिए जो खाने की व्यवस्था की गई है और जो दूसरी सुविधाएं दी गई हैं, वे बहुत ही असंतोषजनक हैं । यह असंतोष पिछले 10-12 महीनों से चल रहा था । आपने जिन 13 ठेकेदारों का जिक्र किया है, क्या आप उनका नाम बतलाने की कृपा करेंगे ? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस काम में इन ठेकेदारों के अन्य कौन-कौन से पार्टनर हैं ? क्या यह बात सही नही है कि उस देश में मजदूरों से संबधित जो नीति है, वह हमारे देश की मजदूर नीति से बिल्कुल विपरीत है और मजदूरों के संबंध में वे 'क्रश देम' की नीति अपनाते है ? क्या यह भी सही है कि इसी नीति के अनुसार हमारे देश से पब्लिक अण्डरटेकिंग के माध्यम से जो मजदूर वहां जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है ? हमें विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला है कि पिछले दिनों जिन मजदूरों ने वहां पर हड़ताल की उनको गैस चैम्बर में डाल दिया गया । आपने कहा कि उन लोगों को एयर

कण्डीशण्ड मकानों में रखा जाता है, लेकिन क्या यह सही है कि इसका बदला वहां की सरकार ने इन लोगों को गैस चेम्बर में डाल कर लिया है ? हमें जहां तक पता चला है, वहां की पुलिस की साजिश से यह सब काम हुआ है । सिर्फ टीयर गैस ही नही छोड़ी गई है, बल्कि लोगों को गैस चैम्बर में बंद किया गया है ।

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आपने जो दो अधिकारी श्री सुन्दरम् और श्री लाल को वहां पर नियुक्त किया है, वे लोग वहां पर ऐशो-आराम की जिन्दगी बिता रहे हैं और वे लोग मजदूरों का कोई हित नहीं कर रहे हैं ? पिछले दिनों जब आप एक दिन के लिए वहां गये थे तो क्या आपने इस स्थिति को देखा था ? मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अरब देशों में 7 हजार से भी अधिक मजदूर लगे हुए हैं । अभी पिछले दिनों ओमान मे वहां की पुलिस ने दो सौ भारतीय मजदूरो को जबर्दस्ती वहां से वापस भेज दिया । ऐसी स्थिति मे क्या कुवैत की सरकार भी इसी प्रकार की तैयारी कर रही है ? इसके साथ-साथ मै यह भी जानना चाहता हूं कि जो एक कमेटी लेबर मंत्रालय के एक अधिकारी श्री शंकरन् की अध्यक्षता में विदेशों में काम करने वाले मजदूरों की सुविधाओं पर विचार करने के लिए बनाई गई थी, क्या उस कमेटी की रिपोर्ट आपके पास आई है ? यदि हां, तो आपने उस पर क्या फैसला किया है ? हमारे देश से जो लोग विदेशों में काम करने जाते हैं उनकी सुख-सुविधाओ को ध्यान में रखने के लिए और उनको मदद पहुंचाने के लिए क्या सरकार ने कोई वैलफेयर एजेंसी बनाई है ; क्योंकि खासतौर पर अरब देशों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों की आज्ञा नही है ? इस संबंध में मेरा कहना यह है कि क्या भारत सरकार ने कोई वैलफेयर एजेंसी हमारे जो दूतावास इन देशों में हैं, उनके माध्यम से बनाने का प्रयास किया है ? क्या यह भी सही है कि इस देश में जो मजदूर काम करते हैं उनमें से आधे से अधिक मजदूरो को वहां से जबर्दस्ती वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है और फिर उनकी जगहों पर दूसरे लोगो को रखा जा रहा है ? क्या इन सब बातों की मंत्री महोदय जांच करेंगे और कोई निगरानी रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : उपसभापति जी, जैसा मैंने बताया है, वहां पर कुल 6 हजार मजदूर काम करते हैं । इस संबंध में हमारे पास जो सूचना है, उसके अनुसार इनमें से 256 मजदूरो को वापस भेजने का इरादा नजर आ रहा है । इन में से अधिकाश वे लोग हैं जो वहां पर काम करने को तैयार नही है । 256 से अधिक मजदूरों को वापस भेजने की जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है, उसकी जानकारी मुझे नही है । उन्होंने तो कहा है कि आधे से अधिक मजदूरो को वापस भेजा जा रहा है । ऐसी कोई विशेष सूचना मेरे पास इस वक्त नही है । अगर इस प्रकार की कोई सूचना उनके पास हो तो मैं उसकी जांच करने के लिए तैयार हूं । जहां तक शंकरन् कमेटी की रिपोर्ट का संबंध है, इस प्रकार की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है । जहां तक मजदूरों की सुख-सुविधाओं का सवाल है, अरब देशो मे और अन्य मुल्कों में काम करने वाले मजदूरो के बारे मे निगरानी रखने की जिम्मेदारी कुछ श्रम मंत्रालय ने ली है और कुछ संबंधित कम्पनियो ने भी अपने ऊपर ली है ।

विदेशों में जो हमारे दूतावास हैं वे भी इस पर विशेष ध्यान देने का काम कर रहे है । हमने इसको देखा है और मैं यह मानता हूं कि अभी जितना हो रहा है उससे कुछ और ज्यादा होना जरूरी है । इसलिये मैंने कहा कि सरकार एक सरकारी कमेटी के माध्यम से सारे मामले की रिक्रूटमेंट के तौर-तरीकों से लेकर वहां उनके रहन-सहन तक की बातों तक सारे

[श्री जार्ज फर्नेन्डीज]

मामले पर विचार कर रही है। जैसे ही इस कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी वैसे ही इस पर हम आगे अमल करने का काम करेंगे। माननीय सदस्य ने कहा कि 6 हजार रुपये के कान्ट्रेक्ट पर ले जाकर वहां लोगों को 600 रुपया दिया जाता है। उपसभापति जी, इस बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है। ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। जो मजदूर यहां से भर्ती होकर जाता है वह वहां क्या तनख्वाह पायेगा वह, यह, यहां से तय करके जाता है और वह उसको मिलता है और उससे ज्यादा मिलता है। इसलिये इसमें वहां किसने किसको किस तरीके से भर्ती किया और उसमें से किसने बीच में कितना खाया, यह सवाल उठता ही नहीं है। यहां से आदमी जायेगा तो वह कान्ट्रेक्ट पर हस्ताक्षर करके जायेगा और उसे वहां 90 रुपये रोज मिलेगा। I shall get three dinars a day, that is, Rs. 90 a day. Then Rs. 90 is paid. In addition, he gets overtime also. तो यह चीज तय है। इसलिये किसी ने बीच में आकर के कुछ खाने का काम किया इसमें कोई तथ्य नहीं है, यह सम्भव नहीं है।

यहां पर गैस चेम्बर की बात आई, गैस चेम्बर में जाने के बाद आदमी जिन्दा कैसे बाहर आ जायेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने गैस चेम्बर का यहां पर जिक्र किया था....

SHRI DEVENDRA NATH DWIVEDI (Uttar Pradesh): That is the fear he is expressing. Is it a fact that somebody has died?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : इसमें कोई तथ्य नहीं है। वहां पर स्मोक गैस छोड़ दी गई होगी या दो-चार टियर गैस छोड़ दी गई होगी। मुख्यतया वहां स्मोक गैस छोड़ दी गई थी।

श्री श्यामलाल यादव : चेम्बर में लोग भेजे गये थे।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : गैस चैम्बर का मतलब है आदमी को खत्म करना। तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं जब कि लोग गैस चैम्बर की बात करते है तो उन्हें समझना चाहिए कि उससे आदमी जिन्दा कैसे बाहर आ सकेगा।

अभी माननीय सदस्य ने कन्ट्रेक्टर के नामों का जिक्र किया। इनकी सूची मैं पढ़कर सुनाता हूं। जो 13 एसोसियेट कान्ट्रेक्टर हैं उनके नाम और उनका दफ्तर किस शहर में है इसको मैं पढ़कर सुनाता हूं।

1. M/s. Prime Builders, Bombay.

2. M/s. Priya Engineering Company, New Delhi.

3. M/s. Vaish Brothers, Kanpur.

4. M/s. Kailash Apartments, New Delhi.

5. M/s. Megaski International Pvt. Ltd., New Delhi.

6. M/s. Delhi State Industrial Corporation Ltd., New Delhi.

7. M/s. Shah Engineering Company, Kutch, Gujarat.

8. M/s. Punjab Chemi Plants Ltd., Chandigarh.

9. M/s. Associated Construction Ltd., New Delhi.

10. M/s. Seth Talwar, Company, New Delhi.

11. M/s. Project Construction Company, Durg, Madhya Pradesh.

12. M/s. Janata Nirman, New Delhi.

13. M/s. Faridabad Manufacturing and Engineering Co., Faridabad.

ये 13 कम्पनियां हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next item. The Minister.

श्री हरि शंकर भाभड़ा (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री उपसभापति : अब दूसरा आइटम ले लिया गया है ।

SHRI HARISHANKAR BHABHDA: This is the first time I get up to speak in the House. I must get protection from the Chair.

श्री उपसभापति : भाषण का मौका अब कहां है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कालिंग अटेन्शन में मेरा नाम है । मुझे थोड़ा ही बोलना है । मुझे वह बात कहनी है जो यहां पर किसी ने नहीं कही है । वही बात में कहना चाहता हूं ।

श्री उपसभापति : आप पहले सूचना दे देते तो...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कालिंग अटेन्शन में मेरा नाम है ।

श्री उपसभापति : नाम होने से क्या होता है । मंत्री महोदय तो जा रहे हैं अब आप क्या निवेदन करेंगे ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक बात पूछनी है ।

श्री उपसभापति : बाद में पूछ लीजियेगा ।

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING THE 7TH AUGUST, 1978

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA): With your permission, Sir, I rise to announce that the Government Business in this House during the week commencing the 7th August, 1978, will consist of:—

(1) Further consideration and passing of the Press Council Bill, 1977, as reported by the Joint Committee.

(2) Consideration and passing of:—

(a) The Indian Explosives (Amendment) Bill, 1978, as passed by Lok Sabha.

(b) The Passports (Amendment) Bill, 1978, as passed by Lok Sabha.

(3) Consideration of a motion for concurring in the recommendation of Lok Sabha for the reference of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 1978, to a Joint Committee.

It is also proposed to provide:—

(a) for a discussion on the working of the Ministry of External Affairs on 8th August, 1978;

(b) as announced by the Chairman, for a discussion on the motion by Shri N. K. P. Salve regarding allegations of corruption made by the former Home Minister against the family members of the Prime Minister and the counter allegations of corruption made by the Prime Minister against the family members of the former Home Minister, on 10th August, 1978.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, I have a submission to make. First of all, Sir, I do not quite understand why we should discuss the international situation under cover